समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

–: अति अल्पकालीन निविदा :–

संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, घाटशिला, पोटका एवं सिंहपुरा तथा पटमदा प्रखण्ड के जामडीह सबरटोला में सोलर लाईट एवं सोलर ड्रिंकिग वाटर सिस्टम का अधिष्ठापन हेतु इच्छुक निबंधित निविदादाताओं से मुहरबंद निविदा दिनांक– **03.02.2018** के अपराह्न 01:00 बजे तक आई0टी0डी0ए0, कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में आमंत्रित किया जाता है ।

निविदा उसी दिन दिनांक– **03.02.2018** के अपराह्न 04:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा। निविदा के समय निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग लेंगे । निविदा की शर्तें जिला के वेबसाईट www.jamshedpur.nic.in एवं कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है ।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

समेकित अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

निविदा की शर्तें :–

(क) तकनीकी बीड :–

01. सभी निविदाएँ द्विलिफाफा प्रणाली के तहत् प्राप्त किया जाएगा।
02. निविदादाता लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में तकनीकी बीड लिखकर उसमें निविदा के साथ मांगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र डालेंगे एवं उसे मुहरबंद किया जाएगा।
03. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में राशि– 40,000/– (चालीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के माध्यम से परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से प्लेज्ड करना अनिवार्य होगा।
04. तकनीकी दृष्टिकोण से अयोग्य निविदादाता की अग्रधन के रूप में जमा राशि वापस कर दिया जाएगा एवं उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।
05. निविदादाता को GST निबंधन प्रमाण–पत्र, एवं विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न देना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय बीड :–

01. इस लिफाफे में साफ–साफ शब्दों में वित्तीय बीड अंकित करेंगे। इस लिफाफे में सोलर लाईट एवं सोलर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम का Technical Features & Specification एवं दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता एवं आधुनिक तकनीक प्रदान करने वाले निविदादाता को प्राथमिकता दिया जाएगा।

निविदा की अन्य शर्तें :–

01. निविदा का "तकनीकी बीड" एवं "वित्तीय बीड" अलग–अलग होगा। तकनीकी बीड विधिवत पाए जाने के उपरांत ही संबंधित निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
02. सफल निविदादाता को सरकार के पक्ष में परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के साथ एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा के पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
04. निविदा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
05. आपूर्तिकर्ता के द्वारा ससमय कार्य सम्पन्न नहीं किये जाने की स्थिति में अग्रिम राशि जब्त कर लिया जाएगा। निविदा कागजात में किसी प्रकार का काट–कुट (Cutting) एवं उपरी लिखावट (Overwriting) स्वीकार नहीं किया जाएगा।
06. निविदादाता को काली सूची में नहीं डाले जाने का शपथ–पत्र देना होगा ।
07. सोलर पैनल की वारंटी न्यूनतम 15 वर्ष, बैटरी की वारंटी न्यूनतम 03 वर्ष देना अनिवार्य होगा ।
08. चयनित निविदादाता को कार्य पूर्ण की तिथि से अगले दो वर्ष तक के लिए Free Maintenance On Site करना होगा जिसके लिए अलग से किसी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा।
09. शर्त्तयुक्त निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा।

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।